(17)

संख्याः– — /XIV–1/2011–5(19)/2010

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 02 दिसम्बर, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सहकारी सहभागिता योजनान्तर्गत (सामान्य) दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2961/नियो0/सहभागिता/2011–12 दिनांक 08 अगस्त, 2011, शासनादेश संख्याः–1478/XIV-1/ 2011-5(19)/2010 दिनांक 05 सितम्बर, 2011, शासनादेश संख्याः–1490/XIV-1/ 2011-5(19)/2010 दिनांक 07 सितम्बर, 2011 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/ 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारी सहभागिता योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों एवं सामान्य कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण/दीर्घकालीन ऋण/आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु **₹ 10,42,89,000/–(रूपये दस करोड़ बयालीस लाख नवासी हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करने के लिये श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त क्लेम के निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नही होगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–209/XXVII (1)/ 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय। योजना का नियोजन विभाग से मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च, 2012 तक कराया जाना अवश्य सुनिश्चित् करके उनकी मूल्यांकन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425– सहकारिता आयोजनागत– 00 –800–अन्य व्यय–13–सहकारी सहभागिता योजना– 00–50–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3– ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या– 67 (*P*)/XXVII-4/2011 दिनांक 02दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्याः–१७०३(1) /XIV–1/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तर–2 के क्रम में।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
9. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
10. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।